न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्रीकुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 19/2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. कालूराम पुत्र जेठाराम 2. प्रकाशचन्द पुत्र जेठाराम 3. श्रीमती गीता पत्नी जेठाराम 4. विमला पुत्री जेठाराम 5. शोभा पुत्री जेठाराम जातिगण माली 6. निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत मृ0 अणछाई देवी पुत्री मगाराम पत्नि घेवरराम के का.मु. 6/1 मोहनलाल पुत्र घेवरराम 6/2 घनश्याम पुत्र घेवरराम जातिगण माली निवासीगण मालियों का बड़ा बास सोजत सिटी तह0 सोजत। 7. कानाराम पुत्र रामलाल 8. रामचन्द पुत्र वेनाराम 9. राजुराम पुत्र वेनाराम जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला—पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 05/03/24

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत प्रथम भू अभिलेख, निरीक्षक क्षेत्र सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 242 खसरा नंबर 4961 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नंबर 4989 रकबा 0.0800 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1600 हैक्टर की भूमि वादीगण की खातेदारी एवं पुश्तैनी व अन्य सह खातेदारान की राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुदा आयी हुई स्थित है। ,उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पूर्वज मगाराम पुत्र पुखाराम के स्थान पर त्रुटिवश मांगीलाल पुत्र पुरखाराम दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि को वाद पत्र में वादरथ भूमि से सम्बोधित किया जावेगा। वादीगण के पूर्वज मगाराम पुत्र पुखाराम जी थे, जिनका की निंवसीयती स्वर्गवास हो चुका है, स्व. मगाराम जी के उतराधिकारी वारिसान में तीन पुत्र क्रमशः केसाराम, गोपाराम, रामलाल हुए तथा एक पुत्री अणछाई हुई। उक्त केसाराम, गोपाराम एवं रामलाल का भी स्वर्गवास हो चुका है। उक्त स्व. केसाराम के उतराधिकारी वारिसान में एक पुत्र वेनाराम हुआ, जिसका भी स्वर्गवास दिनांक 25/08/2016 को हो चुका है। जिनके उत्तराधिकारी वारिसान में रामचन्द्र एवं राजाराम पुत्र एवं एक पुत्री लीला है। इसी प्रकार स्व. गोपाराम जी का दिनांक 03/02/2004 को स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उतराधिकारी वारिसान में एक पुत्र जेठाराम था, जिसका भी स्वर्गवास दिनांक 8/12/2014 को हो चुका हैं। जिनके उत्तराधिकारी वारिसान वादीगण संख्या 01 से 05 क्रमशः कालुराम, प्रकाशचन्द्र, गीता देवी, विमला व शोभा है तथा स्व. रामलाल व उनकी पत्नी सुकनी देवी का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उतराधिकारी वारिसान में चार पुत्र क्रमशः कानाराम, सोहनलाल, राजाराम एवं शिवलाल

तथा तीन पुत्रीयां क्रमशः कंचन, सतीया, लीला है, इसके अलावा स्व. मगाराम पुत्र पुखाराम जी के अन्य कोई उत्तराधिकारी वारिसान नही हैं तथा मगाराम जी की पुत्री अणछाई का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान क्रमशः 6/1 व 6/2 है व इसी प्रकार स्व. रामलाल जी के उतराधिकारी वारिसान में कानाराम, सोहनलाल, राजाराम व शिवलाल है, जिसमें से कानाराम बतौर वादी पक्षकार संयोजित है। लेकिन अन्य वारिसान के द्वारा वर्तमान में कार्य में व्यस्त होने से वाद पत्र पर हस्ताक्षर नही किये है। वादपत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि खसरा नंबर 4961, 4689 की भूमि सैटलमेन्ट पूर्व पुराने खसरा नंबर 296/3 व 296/26 वगैरा से मिलकर बने है, जो भूमि राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पूर्वज मगाराम पुत्र पुखाराम के नाम दर्जसुदा थी, लेकिन वक्त इन्द्राज उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पूर्वज मगाराम पुत्र पुखाराम के स्थान पर राजस्व कर्मचारीयों द्वारा बिना वास्तविक दस्तावेजात का अवलोकन किये राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश मगाराम पुत्र पुखाराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र पुरखाराम इन्द्राज कर दिया गया, जबकि वास्तव में वादीगण के पूर्वज का वास्तविक एवं सही दस्तावेजी नाम मगाराम पुत्र पुखाराम ही था। वक्त सैटलमेन्ट संवत् 2030 से 2033 की जमाबंदी में भी मांगीया पुत्र पुखा दर्ज है तथा खसरा मिलान में मांगीया वल्द पुरखा दर्ज कर दिया व वक्त सैटलमेन्ट त्रुटिवश मांगीलाल पुत्र पुरखाराम इन्द्राज कर दिया, जो कि गलत है, जबकि वादीगण के पूर्वज मगाराम पुत्र पुखाराम जी की सोजत चक प्रथम में अन्य कृषि भूमियां भी आयी हुई स्थित है थी, जिन कृषि भूमियां के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पूर्वज का सही व वास्तविक नाम मगाराम पुत्र पुखाराम दर्जसुदा था। इतना ही नही उपरोक्त कृषि भूमि के पुराने खसरा नंबर में चौथी बेवा हंसाजी द्वारा वादीगण के पूर्वज गोपाराम पुत्र मगजी व जेठाराम पुत्र गोपाराम माली के पक्ष में सोजत चक प्रथम में स्थित वादस्थ भूमि से संबंधित बेचान रजिस्ट्री दिनांक 12/07/1977 को पंजीयन हुई, जिसमें सह खातेदार के रूप में वादीगण के पूर्वज का नाम मगाराम पुत्र पुखाराम अंकित है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज का वास्तविक एवं सही दस्तावेजी नाम मगाराम पुत्र पुखाराम ही था तथा स्वयं वादीगण के पिता गोपाराम, रामलाल वगैरा के मृत्यु प्रमाण पत्र आज से करीब 15–20 वर्ष पूर्व जारी हुए, जिन दस्तावेजात में भी मगाराम ही अंकित है तथा इसके अलावा अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी दस्तावेजात में भी वादीगण के पूर्वज का नाम मगाराम पुत्र पुखाराम ही अंकित है, जिसमें यह स्पष्ट है कि उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारीयों द्वारा वक्त इन्द्राज वादीगण के पूर्वज का दस्तावेजी नाम अंकित न कर पैन ऑफ स्लिफ की त्रुटि व सहवन व सद्भाविक त्रुटिवश मगाराम पुत्र पुखाराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र पुरखाराम गलत अंकित कर दिया।

इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वाद–पत्र संख्या 01 में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 242 खसरा नंबर 4961 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नंबर 4989 रकबा 0.0800 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1600 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पूर्वज मगाराम पुत्र पुखाराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र पुरखाराम त्रुटिवश दर्ज इन्द्राज को रेकर्ड दुरूस्त करवाकर वादीगण व मगाराम के तमाम वैध उत्तराधिकारी वारिसानों के नाम फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत कर खातेदार इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0 दा0 तलब किये गये। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत प्रतिवादी ने जबाब दावा पेश कर अंकित किया है कि पैरा संख्या 1 में वर्णित सम्पति सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित है। पैरा 2 से 4 में वर्णित तथ्य वादी स्वयं साक्ष्य सबूत पेश करना अंकित किया है। पेरा 5 से 10 को कानूनी होना बताया है।

बहस अधिक्ता वादीगण एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 242 खसरा नंबर 4961 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नंबर 4989 रकबा 0.0800 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1600 हैक्टर की कृषि भूमि में वादीगण राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पूर्वज मगाराम पुत्र पुखाराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र पुरखाराम त्रुटिवश दर्ज इन्द्राज को रेकर्ड दुरूस्त करवाकर

वादीगण व मगाराम के तमाम वैध उत्तराधिकारी वारिसानों के नाम फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत कर खातेदार इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस मे तहसीलदार सोजत ने माफिक ईश्तदुआ अनुसार किसी पक्षकार एवं राज्य सरकार के हित प्रभावित नहीं होने से रेकर्ड दुरूस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद जबाव दावा फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादीगण एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य भू०प्रबन्ध विभाग के पर्चा लगान में मगाराम वल्द पुखाराम दर्ज शुदा है। वक्त सैटलमेन्ट संवत् 2030 से 2033 की जमाबंदी में भी मांगीया पुत्र पुखा दर्ज है तथा खसरा मिलान में मांगीया वल्द पुरखा का संशोधन कर मांगीलाल पुत्र पुरखाराम इन्द्राज कर दिया जबकि पूर्व रेकर्ड पर्चा लगान में मगाराम पुत्र पुखाराम इद्राज किया हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि सेटलमेन्टसे पूर्व वादीगण के पूर्वज का नाम मगाराम था किन्तु सेवल मगाराम पुखाराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र पुरखाराम कर दिया गया। जिससे पुनः राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त इन्द्राज कराया जाना न्यायोचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 242 खसरा नंबर 4961 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नंबर 4989 रकबा 0.0800 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1600 में मांगीलाल पुत्र पुखाराम के स्थान पर मगाराम पुत्र पुखाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 05/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

डिकी बमुकदद्में इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

1. कालूराम पुत्र जेठाराम
2. प्रकाशचन्द पुत्र जेठाराम
3. श्रीमती गीता पत्नी जेठाराम
4. विमला पुत्री जेठाराम
5. शोभा पुत्री जेठाराम जातिगण माली
6. निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत
   मृ0 अणछाई देवी पुत्री मगाराम पत्नि घेवरराम के का.मु.
   6/1 मोहनलाल पुत्र घेवरराम
   6/2 घनश्याम पुत्र घेवरराम जातिगण माली निवासीगण मालियों का बड़ा बास सोजत सिटी तह0 सोजत।
7. कानाराम पुत्र रामलाल
8. रामचन्द पुत्र वेनाराम
9. राजुराम पुत्र वेनाराम जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला–पाली राजस्थान।

प्रतिवादी:

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 19/2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री कैलाश दवे तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत स्वयं पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 242 खसरा नंबर 4961 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नंबर 4989 रकबा 0.0800 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.1600 में मांगीलाल पुत्र पुखाराम के स्थान पर मगाराम पुत्र पुखाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान– मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05/03/24 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)